स्विफ्ट

"व्यापार करने में सुगमता की दिशा में एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण"

- गत दो साल के दौरान केंद्र सरकार की व्यापार करने में सुगमता में सुधार की पहलों के तहत केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा कई सरलीकरण कदम उठाए गए हैं।
- स्विफ्ट से भारत को विश्व बैंक की व्यापार करने में सुगमता रिपोर्ट 2016 में अपनी रैंकिंग सुधारने में मदद मिलेगी।
- भारत व्यापार करने में सुगमता में 189 देशों की सूची में 130वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2015 में यह 134वें पायदान पर था।
- कस्टम्स स्विफ्ट से आयातकों/निर्यातक इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल/इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे या आइसगेट पोर्टल पर एक समान इलेक्ट्रॉनिक 'एकीकृत घोषणा' करने में सक्षम हो जाएंगे।
- यह उन 9 फॉर्मों की जगह लेता है, जो इन 6 विभिन्न एजेंसियों और सीमा शुल्क विभाग के लिए जरूरी होते हैं।

आवश्यकता:

- लेनदेन लागत और कार्गो जारी करने के समय में कटौती के क्रम में सीबीईसी बीते दो साल के दौरान कई कदम उठा चुका है।
- इस दिशा में एक अहम कदम के तौर पर कस्टम की एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था की शुरुआत की गई है।

स्विफ्ट के प्रमुख लाभ

- इससे आयातित वस्तुओं को स्वीकृति के लिए एक एकल बिंदु इंटरफेस मिलेगा।
- 9 अलग-अलग दस्तावेजों के स्थान एक एकीकृत सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक घोषणा इसकी जगह लेगा।
- समय कम लगने और व्यापार करने में सुगमता में सुधार से कारोबार करना सरल होगा।
- दस्तावेज तैयार करने में और मंजूरी में लगने वाली लागत कम होगी।
- एकल मंच पर 6 भागीदार एजेंसियां आएंगी।
- इससे करदाताओं के लिए इन एजेंसियों से अलग-अलग संवाद की जरूरत खत्म होगी।

- स्विफ्ट वास्तव में सरकार की नई व्यापार सरलीकरण पहलों को लागू करने के लिए काफी काम किया है, जो आने वाले समय में नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा।